

प्रेषक,

आलोक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ० प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 08 ^{दिसम्बर} नवम्बर, 2021

विषय:- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (बी० डी० एस०) पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम० ई० 0-3/2021/1712 दिनांक 11-08-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उ० प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (बी० डी० एस०) पाठ्यक्रम की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1622/71-4-2020-37/2015 दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उ० प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में फीस नियतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा

V/120291/2021

प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:-

- (एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप
- (दो) उपलब्ध अवसंरचना
- (तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत
- (चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय
- (पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय
- (छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10 (2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आहूत बैठक दिनांक 21.08.2021 में निजी क्षेत्र के सभी डेण्टल कालेजों को आमंत्रित किया गया। बैठक में उपस्थित संस्था के प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण के सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त उ० प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित मानदण्डों तथा निम्नलिखित आधारों का संज्ञान लिया गया:-

- i. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही डेण्टल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।
- ii. संस्था की वर्ष 2019-20 की Audited Balance Sheet के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है। तदनुसार उक्त Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2021-22 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।
- iii. Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के

आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

- iv. जहाँ UG & PG दोनों Courses संचालित है एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 (UG:PG) का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए, हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।
- v. समिति द्वारा विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मँहगाई के दृष्टिगत होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 01 वर्ष का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण किया जाय।
- vi. समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना।
- vii. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज गाजियाबाद में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते हैं, अतः इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज गाजियाबाद हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया जाना उचित पाया गया।
- viii. रामा डेण्टल कालेज, कानपुर में मुद्रा स्फीति की दर से फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया जाना उचित पाया गया।
- ix. आई 0 टी 0 एस 0 डेण्टल कालेज गाजियाबाद में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते हैं, अतः आई 0 टी 0 एस 0 डेण्टल कालेज गाजियाबाद हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया जाना उचित पाया गया।
- x. आई 0 टी 0 एस 0 डेण्टल कालेज ग्रेटर नोयडा में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते हैं, अतः आई 0 टी 0 एस 0 डेण्टल कालेज ग्रेटर नोयडा हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया जाना उचित पाया गया।
- xi. सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते हैं, अतः सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया

जाना उचित पाया गया।

6- संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श, उ० प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित मानदण्डों, प्रस्तर-5 में उल्लिखित आधार तथा फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 21.08.2021 के क्रम में की गयी संस्तुतियों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित डेन्टल कालेजों के स्नातक स्तरीय (बी० डी० एस०) पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए उनके सम्मुख अंकित शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रं/सं	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क (रु० में)
1	सरदार पटेल डेण्टल कालेज, लखनऊ।	3,42,000/-
2	आई० डी० एस० डेण्टल कालेज, बरेली।	2,93,000/-
3	श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	3,60,000/-
4	कालका डेण्टल कालेज, मेरठ	2,93,000/-
5	चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी	2,93,000/-
6	डेण्टल कालेज, आजमगढ़	2,93,000/-
7	पूर्वांचल डेण्टल कालेज, गोरखपुर	2,93,000/-
8	के० डी० डेण्टल कालेज, मथुरा	3,28,000/-
9	इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज, गाजियाबाद	3,13,000/-
10	रामा डेण्टल कालेज, कानपुर	3,13,000/-
11	आई० टी० एस० डेण्टल कालेज, ग्रेटर नोयडा।	3,65,000/-
12	आई० टी० एस० डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	3,84,000/-
13	सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ	3,13,500/-
14	स्कूल ऑफ डेण्टल साइंसेज, ग्रेटर नोयडा।	3,65,000/-
15	बी० बी० डी० डेण्टल कालेज, लखनऊ	3,48,000/-
16	कोठीवाल डेण्टल कालेज, मुरादाबाद।	3,65,000/-
17	महाराना प्रताप डेण्टल कालेज, कानपुर	3,21,000/-

18	आई 0 डी 0 एस 0 टी 0 डेण्टल कालेज, मोदीनगर, गजियाबाद।	3,38,000/-
19	सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ	2,93,000/-

7- स्नातक स्तरीय (बी 0 डी 0 एस 0) पाठ्यक्रम हेतु हास्टल शुल्क, सिक्योरिटी डिपोजिट एवं विविध शुल्क के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-1791/71-4-2020-37/2015 टी 0 सी 0 दिनांक 06-11-2020 की व्यवस्था यथावत रहेगी।

उक्त व्यवस्था निम्नवत है:-

1- छात्रावास शुल्क-

- (ए) नॉन ए 0 सी 0 - - - - - रू 0 0.85 लाख प्रतिवर्ष।
 (बी) ए 0 सी 0 - - - - - रू 0 1.05 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक होगा तथा वेरायटी को होगा।

2- सिक्योरिटी डिपोजिट (वापसी योग्य)-

हास्पिटल, लाइब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:- रू 0 3.00 लाख (एक बार)।

3- विविध शुल्क- रू 0 0.40 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेंट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्ट्स फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित हैं। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

8- शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एक- मुश्त अग्रिम के रूप में जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित डेण्टल कालेज उपर्युक्त प्रस- तर-6 एवं 7 में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ 0 प्र 0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आलोक कुमार

Date: 07-12-2021 11:13:57

Reason: Approved

प्रमुख सचिव

संख्य एवं तहनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ० प्र० शासन।
4. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, विभाग, उ० प्र० शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित डेप्टल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव